मुद्रक - आरती प्रिन्टिंग प्रेस सिकराय

फर्द अहकाम

(नियम (२८)

अज अदालत .... सिकराय ....

सरकार बनाम .... [illegible] / सरकार ....

किस्म मुकदमा .... दावा .... मु० नं० .... 149/20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.6.21	पत्रावली पेश हुई, वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. [illegible] अन्य कार्य में व्यस्त/दौरे पर होने से जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनाँक 9.07.21 को पेश हो।	
9/7/21	पत्रावली पेश। जवाब स्टेट प्राप्त। बहस दावा सुनी गयी। निर्णय हेतु पत्रावली दि. 23.7.21 को पेश हो।	
23/7/21	पत्रावली निर्णय हेतु पेश। वाद के तथ्यों व जवाब स्टेट का अवलोकन किया गया। वाद अनुसार ग्राम कुण्डेरा डूंगर के खाता सं. 1 में दर्ज गै.मु. नाला को वादीगण की खातेदारी में दर्ज करने का अनुतोष चाहा है। वाद अनुसार भू-प्रबंध विभाग द्वारा एकीकरण कार्यवाही के दौरान साबिक ख.नं. 222 से नवीन ख.नं. 36 कायम करते हुये, वादीगण की खातेदारी के ख.नं. 37 में ~~[illegible]~~ 5 बिस्वा शामिल करते हुये गै.मु. नाला दर्ज कर दिया। तहसीलदार द्वारा राजस्व मण्डल में किये रेफरेन्स के निर्णय दि. 5.11.19 द्वारा ख.नं. 36 को 5 बिस्वा की हद तक ही गै.मु. नाला ~~दर्ज~~ दर्ज करने आदेश दिये थे, जिसकी पालना में पटवारी व तहसीलदार द्वारा ख.नं. 37 (9.11 बीघा) की सम्पूर्ण भूमि को खातेदारी से हटाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करदी। वादीगण उक्त त्रुटि को दुरुस्त करवाना चाहते हैं। जवाब स्टेट दि. 5.2.21 के बिंदु सं. 5 में प्रश्नगत भूमि में से केवल 5 बिस्वा भूमि ही गै.मु. नाला व शेष भूमि वादीगण की खातेदारी (4.12 बीघा चाही व 4.14 बीघा बारानी) है। अत: तहसीलदार सिकराय को आदेशित किया जाता है कि ग्राम कुण्डेरा डूंगर की ~~वादीगण~~ 5 बिस्वा गै.मु. नाला छोड़ते हुये शेष भूमि (4.12 बीघा चाही व 4.14 बीघा बारानी) वादीगण की खातेदारी में दर्ज करें। जवाब स्टेट निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार को पालना हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो। (हस्ताक्षर) (रणजीत सिंह) 23.7.21	